

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 35/2014

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

जमाल खान पुत्र मीर खान जाति
मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी
सी.सी. बाड़मेर (मै.शक्तिमान
आईसक्रिम माल गोदाम रोड़ बाड़मेर
का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुनील रामावत एडवोकेट विप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.6.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.5.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने निरीक्षण जरिये सरकारी वाहन से मैसर्स शक्तिमान आईसकेन्डी माल गोदाम रोड़ बाड़मेर दोपहर 2.00 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम जमाल खान पुत्र मीर खान जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी सी.सी. बाड़मेर फर्म का मालिक बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स शक्तिमान आईसकेन्डी माल गोदाम रोड़ बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) के 500-500 ग्राम के लगभग 20 पैकेट रखे हुए पाये गए, जो आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। निरीक्षण के दौरान कुल्फी में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त 500-500 ग्राम के 20 पैकेटों में से 500-500 ग्राम के 2.5 पीस खरीदे, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 626/- रुपये नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त 2.5 पीस को खोलकर एक स्टील की भगोनी, जो दुकान में रखी हुई थी, में डाला तथा हिला-हिलाकर एकरूप कर उसे चार कॉच की शीशीयां में बराबर-बराबर मात्रा में भरा प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहों व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.343 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-343 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि कुल्फी का नमूना पी-343 की जॉच रिपोर्ट एलएस/326/एक्ट/2015/345 दिनांक 03.07.2014 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त होने पर, अवलोकन करने पर नमूना पी-343 जॉच निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ कुल्फी का विक्रय करके खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 343 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी ने दिनांक 27.6.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

किया कि उसके द्वारा कुल्फी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त परिवाद का निरस्तारण करवाना चाहता है।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 22.05.2014 को निरीक्षण के दौरान मैसर्स शक्तिमान आईसक्रीम माल गोदाम रोड़ बाड़मेर की दुकान में कुल्फी आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। कुल्फी का नमूना जांच में अवमानक स्तर का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार कुल्फी का नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी जमाल खान द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अवमानक पाई गई कुल्फी बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी जमाल खान पर 5000/- अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.6.2016 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



निर्णय आज दिनांक 27.6.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओपीओबिशनोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर